



2026:AHC:129711

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21917 वर्ष 2026

किशन शर्मा @ गोलू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

धनंजय कुशवाहा, त्रिपुरारी पाल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 59/2026, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 115(2), 352, 351(1), 324(4) थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घायल व्यक्ति को केवल दो प्रत्यक्ष चोटें आई हैं जो चिकित्सा परीक्षण में पाई गईं, और चिकित्सा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परीक्षण के समय घायल व्यक्ति के पेट पर कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं देखी गई। घायल व्यक्ति की तिल्ली बाद में फटी हुई पाई गई, और इस चोट का आरोप आवेदक पर विशेष रूप से नहीं लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम तो है, लेकिन उसे एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरू में भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के साथ अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसे बाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) में परिवर्तित कर दिया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 16.5.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। एफआईआर से ही आवेदक की भूमिका घायलों पर हमला करने की प्रतीत होती है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि घायल की चिकित्सकीय जांच में जो दो चोटें पाई गई थीं, घायल व्यक्ति की उसके पेट या आंत में कोई चोट नहीं पाई गई।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया

6. आवेदक को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। घायल व्यक्ति के पेट पर कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं है। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि नौ आरोपियों ने दो प्रत्यक्ष चोटें पहुंचाई हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे प्रथम दृष्टया आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले/अपराध संख्या में शामिल आरोपी-आवेदक **किशन शर्मा @ गोलू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,)

30 जून, 2026

कृष्णा